

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2014/आश्विन 18, 1936

No. 523]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2014/ASVINA 18, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 715(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पिठत उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री बी. दिनेष कुमार, उपसचिव, पोत पिरवहन मंत्रालय, को श्री सम्बित त्रिापाठी, निदेशक, जिन्हें सा. का. नि. सं. 523(अ) दिनांक 23.07.2014 के द्वारा कंडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया था, के स्थान पर 31.03.2016 तक कंडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति उपर्युक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी–11013/8/2013–एल] एम. सी. जौहरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2014

G.S.R. 715 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Dinesh Kumar, Deputy Secretary, Ministry of Shipping to be a trustee on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust up to 31.03.2016 in place of Sambit Tripathy, Director who was appointed vide G.S.R. No. 523(E) dated 23.07.2014 on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust.

2. The said appointment shall come into force from the date of publication of the Notification in the Gazette of India.

[F. No. LB-11013/8/2013-L]

M.C. JAUHARI, Jt. Secy.

4026 GI/2014